सत्यमेव जयते

लोकभवन
राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड
न्यू कैन्ट रोड, देहरादून

संख्या– /जी.एस./सा०प्रशा०/E-1789/2025
देहरादून, दिनांक 21 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

लोक भवन, नैनीताल को आम जनमानस के भ्रमण हेतु खोले जाने सम्बन्धी प्रवेश टिकट प्रणाली संचालन हेतु आमंत्रित पुनः ई–निविदा के आधार पर उच्चतम् बोली धनराशि ₹ 25,61,000/– (₹ पच्चीस लाख इक्सठ हजार मात्र) अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01 फरवरी, 2026 से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक मै० नवीन अग्रवाल मौ० भूप सिंह, जसपुर जिला उधमसिंह नगर को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुबन्धित किया जाता है:–

1. नवीन फर्म द्वारा लोक भवन नैनीताल में आम जनमानस के भ्रमण हेतु खोले जाने सम्बन्धी प्रवेश टिकट प्रणाली का संचालन दिनांक 01 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ किया जायेगा।
2. फर्म एवं फर्म के साथ काम करने वाले कर्मियों के स्थाई/पत्र व्यवहार के पते तथा चरित्र/आचरण सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही सम्बन्धितों से लोक भवन में मादक पदार्थ का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा के अनुपालन का शपथ पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
3. टिकट की दर सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी।
4. लोकभवन के अधिकारियों/कर्मचारी एवं उनके परिजनों का लोक भवन नैनीताल में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
5. लोकभवन, नैनीताल फर्म द्वारा रखे गये कार्मिकों को पहचान पत्र निर्गत करेगा।
6. जी0एस0टी0 जमा करने का दायित्य फर्म/संस्था का होगा।
7. प्रतिभूति धरोहर धनराशि ₹ 2.5 लाख (₹ दो लाख पचास हजार) होगी। यह राशि सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम से बन्धक (Demand Draft/ Bank Guarantee) के रूप में देय होगी।
8. चुनी गई एजेंसी को टिकट व्यवस्था ऑनलाइन/ऑफलाइन टिकटिंग, क्यू मैनेजमेंट, सूचना पटल आदि की व्यवस्था करनी होगी।
9. पर्यटकों के लिए समुचित दिशा–निर्देश, सुरक्षा और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. सभी आवश्यक अनुमतियॉ और अनुमति पत्र एजेंसी को अपने स्तर से प्राप्त करने होगे।
11. अनुबन्ध अवधि 01 फरवरी, 2026 से एक वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।
12. किसी भी शर्त का उल्लंघन फर्म व फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिकों द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 07 दिन के अन्दर नोटिस दे कर फर्म/संस्था का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
13. फर्म/संस्था द्वारा अर्नेस्ट मनी को निविदा खुलने की तिथि से पूर्व विभाग में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमश–2

14. आगन्तुकों/पर्यटकों को वालरूम तक एवं गोल्फ मैदान के प्रथम 2 होल तक ही जाने की अनुमति गाइड के साथ दी जायेगी। गाइड की व्यवस्था सफल निविदाकर्ता द्वारा स्वयं की जायेगी।
15. आगन्तुकों/पर्यटकों की देखरेख प्रत्येक दिन एआई कैमरों के माध्यम से सहायक अभियन्ता, लोकभवन नैनीताल एवं आईटी प्रकोष्ठ देहरादून द्वारा की जायेगी, तथा इसकी जानकारी समय–समय पर उच्च अधिकारियों को दी जायेगी।
16. मा० राज्यपाल महोदय के लोक भवन, नैनीताल प्रवास एवं वीआईपी/वीवीआईपी के प्रवास के दौरान पर्यटकों का लोक भवन, नैनीताल में प्रवेश पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
17. पर्यटकों द्वारा लोकभवन, नैनीताल में भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति फर्म/संस्था द्वारा किया जायेगा।
18. फर्म द्वारा प्रथम तिमाही के प्रथम सप्ताह में 50 प्रतिशत भुगतान तथा छमाई के प्रथम सप्ताह में शेष 50 का प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
19. अनुमन्य धनराशि का भुगतान फर्म को किस बैंक खाता में करना है उसके बारे में फर्म को पृथक से अवगत कराया जायेगा।
20. पर्यटकों/आगन्तुकों को लोक भवन, नैनीताल में भ्रमण के दौरान प्रवेश हेतु 10 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क, 10 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के लिए ₹50/– प्रति व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ₹100/– प्रति व्यक्ति तथा विदेशी नागरिक से ₹200/– प्रति व्यक्ति टिकट शुल्क निर्धारित किया जाता है।
21. पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

(रविनाथ रामन)
सचिव, श्री राज्यपाल

संख्या : 27883 (1)/जी0एस0(सा०प्र०)/ E–1789/2025 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महाप्रबन्धक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल।
2. परिसहाय, श्री राज्यपाल।
3. वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल।
4. विशेष कार्याधिकारी, गृहस्थ अधिष्ठान/वरिष्ठ प्रोग्रामर लोक भवन।
5. सूचना अधिकारी, लोकभवन।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, लोकभवन।
7. सहायक अभियन्ता, सिविल/वि०यॉ० खण्ड, लो०नि०वि० लोकभवन, नैनीताल।
8. कमाण्डेंट, पी०ए०सी०, लोकभवन, नैनीताल।
9. मै० नवीन अग्रवाल मौ० भूप सिंह, जसपुर जिला उधमसिंह नगर।

आज्ञा से,

(रीना जोशी)
अपर सचिव, श्री राज्यपाल